

भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171 003



Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla 171 003

कार्यालय आदेश

विषय- आवासीय परिसर के पानी प्रभार की दरें 01.01.2024 के संबंध में।

कार्यपालक अभियंता, शिमला केंद्रीय मंडल-II, के०लो०नि०वि०, शिमला के पत्र संख्या- 20(5)/यो.शा./शि.म.-01 /2023/2912 दिनांक-18.11.2023 जिसे कार्यालय सहायक सम्पदा प्रबन्धक, गैड होटल, शिमला के पत्र संख्या-स स प्र.(शि.) 13/7/73-II/पत्र/1648 दिनांक-28.11.2023 और सम्पदा प्रबन्धक के आदेश दिनांक 28.11.2023 पृष्ठांक के अनुसार शिमला स्थित केंद्रीय सरकारी आवासों एवं विभागीय पूल आवासीय आवासों के मौजूदा पानी प्रभार का पुनः निर्धारण किये गये हैं। संशोधित दरों का विवरण निम्नलिखित है:-

Sr. No.	आवास प्रकार	का मौजूदा पानी प्रभार प्रतिमाह	पानी प्रभार निर्धारित प्रतिमाह दिनांक 01.01.2024	पानी प्रभार	टिप्पणी
01	I	50/-	100/-	-	
02	II	50/-	100/-	-	
03	III	50/-	100/-	-	
04	IV	75/-	150/-	-	
05	V	100/-	200/-	-	
06	VI	100/-	200/-	-	
07	नौकर आवास	50/-	50/-		कोई बदलाव नहीं किया गया पुरानी दरें लागू रहेगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सामान्य पूल और विभागीय पूल से स्टाफ क्वार्टर/प्लॉट पर कब्जा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पानी प्रभार ऊपर उल्लिखित संशोधित दरों पर दिनांक-01.01.2024 से हर माह वेतन से वसूली की जाये।

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (पूशा०)

-Cum-सम्पदा अधिकारी

Signed by Ravi Kumar

Verma

Date: 04-01-2024 21:57:23

पाठिकाः- वरिष्ठ उप महालेखाकार -सह - सम्पदा अधिकारी के आदेश दिनांक . 01.2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित है:-

1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (पूशा०), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), एच.पी., शिमला.
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हक्रदारी), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), एच.पी., शिमला.
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पूशा०), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० व ह०), एच.पी., शिमला.
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (त्रिल अनुभाग), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० व ह०), एच.पी., शिमला.
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), एन०ए०ए०ए०, चौड़ा मैदान, शिमला।
6. सूचना पत्र
7. कार्यालय वेबसाइट



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
संपदा निदेशालय

Directorate of Estates
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing & Urban Affairs
कार्यालय सहायक संपदा प्रबन्धक, ग्रैंड होटल शिमला

Office of the Assistant Estate Manager, Grand Hotel, Shimla-171001

दूरभाष:-0177-2658121,2652587 ईमेल:shimla-estates@gov.in,aemshimla2017@gmail.com

सं:स.स.प्र.(शि.)13/7/73-11/पत्रा./1648-1702/50

कार्यालय ज्ञापन

दिनांक 8 NOV 2023


विषय:-शिमला स्थित केंद्र सरकार,आवासीय परिसर के पानी प्रभार दर संसोधन दिनांक 01.01.2024 के सम्बन्ध में।

कार्यपालक अभियन्ता, शिमला केंद्रीय मंडल-11, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शिमला के पत्र संख्या 20(5)चौ.शा.शि.म. 01/2023/2912 दिनांक 18.11.2023 द्वारा शिमला स्थित केंद्रीय सरकारी आवासों के मौजूदा पानी प्रभार का पुनः निर्धारण किया गया है इसलिए सभी सामान्य पूल आवास आवंटियों से संशोधित निर्धारित दर से पानी प्रभार की कटौती की जाएगी जिसका विवरण निम्न प्रकार में है :-

आवास का प्रकार	मौजूदा पानी प्रभार प्रतिमाह दिनांक 15.06.2010 से	निर्धारित पानी प्रभार प्रतिमाह दिनांक 01.01.2024 से	टिप्पणी
I	50/-	100/-	
II	50/-	100/-	
III	50/-	100/-	
IV	75/-	150/-	
V	100/-	200/-	
VI	100/-	200/-	
नौकर आवास	50/-	50/-	कोई बदलाव नहीं किया गया पानी दर लागू रहेगी।

अतः निवेदन है कि आगामी आदेशों तक उपरोक्त निर्धारित पानी प्रभार की कटौती आवंटियों से प्रति माह दिनांक 01.01.2024 से निरन्तर शुरू की जायेगी।

इसे सम्बंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी नोट करवाया जाये।


(राज कुमार)
सहायक संपदा प्रबन्धक

सेवा में,

1. शिमला स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारीयो /विभागीय अध्यक्षों से अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधित पानी प्रभार की कटौती नई दरों के अनुसार दिनांक 01.01.2024 से करें तथा PFMS में अपडेट करें तथा जिन कार्यालयों में PFMS लागू नहीं हैं वे कार्यालय नई संशोधित दरों से कटौती कर प्रतिमाह e-sampada पर DDO कार्म में अपडेट करें।
2. लेखा अनुभाग कार्यालय सहायक संपदा प्रबन्धक, ग्रैंड होटल, शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. मिसिल संख्या-स.स.प्र(शि.)9/1/2023-पत्रा.